किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act अनवान– जसराज बनाम तहसीलदार सिवाना मु.नं. 202/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.04.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रमणिया तहसील सिवाना के खसरा संख्या 493 व 495 रकबा क्रमशः 01.6349 व 02.3067 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगें। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2025.05.20 20:15:26 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

क्रमांकः वाद / 2025 / 763 :

दिनांक : 22·05·2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
जसराज पुत्र छोगा		तहसीलदार सिवाना वगैरह

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं:–202 / 2024 दिनांकः–22.04.2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम रमणिया तहसील सिवाना के खसरा संख्या 493 व 495 रकबा क्रमशः 01.6349 व 02.3067 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 2000/–प्रार्थीगण अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
(SDO) सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाद / 2025 / 764 दिनांक : 22·05·2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आव"यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी रमणिया को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री जसराज पुत्र छोगा जाति पुरोहित निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा को सूचनार्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.05.20 20:15:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सिवाना (बालोतरा)